

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठारसीन अधिकारी श्री रोहित कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 911/2019

सरकार वनाम 1. रामजी, लालाराम पुत्र जेराराम बगै

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 मू-राजस्व अधिनियम सपटित
नियम 59,60,66,,86 मू-अभिलेख नियम 1970.

आदेश

दिनांक :- 09.01.2020

पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 मू- राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम असाडा के मूल खसरा नं 567 है। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार स्थिति संलग्न परिशिष्ट 'अ' के कालम संख्या 1 से 6 अनुसार है। वर्तमान लट्टा नक्शा में विन्दु संख्या 1 में वर्णित खसरान् के अधिकांश बट्टा नम्बर की तरमीम नहीं है। उक्त मूल खसरान 567 के अनुसार परिशिष्ट 'अ' के कालम नम्बर 8 से 11 के अनुसार खसरा एवं खाता एकीकरण का आदेश फरमावें।

विप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया गया। वावजूद इतला विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 131, 136 के तहत राजस्व रिकॉर्ड में हुई किसी अशुद्धि को शुद्ध करने हेतु आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विभाजित खसरान का एकीकरण कर एक खसरा नम्बर एक खाता दर्ज करने का आदेश देने का निवेदन किया गया जिसके कारण यह सारहीन है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश खुल न्यायालय मे दिनांक 9.01.2020 को सुनाया गया।



(रोहित कुमार)
मू-अभिलेख अधिकारी,
न्यायालय उपखण्ड बालोतरा
(S.D.O.)